*27. [*The questioners (Shri K. Rama Mohana Rao and Shri Rama Muni Reddy Sirigireddy) were absent. For answer vide Pages 30-31.*]

बिहार में बाढ़

*28. प्रो॰ राम देव भंडारी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल से बिहार में बहने वाली कोशी, कमला तथा गंडक जैसी नदियों से बाढ़ आने से बिहार में भारी जान माल का नुकसान होता है तथा इससे कई हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है;

(ख) उन नदियों पर बांध का निर्माण तथा अन्य उपाय करने के संबंध में नेपाल के साथ बातचीत की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन नदियों पर नियंत्रण करके राज्य को भीषण बाढ़ से बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) (क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोसी, कमला, गंडक जैसी नदियां नेपाल से बिहार में बहती है और उनसे बिहार में भारी बाढ़ आती है, परिणामस्वरूप जान और माल का नुकसान होता है।

(ख) भारत सरकार की नेपाल के साथ नियमित बातचीत हो रही है। इस संबंध में नेपाल के साथ समझौता हुआ है और सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा सन कोसी भंडारण व डाइवर्जन स्कीम संबंधी क्षेत्र अन्वेषण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 29.34 करोड़ रुपये की लागत से एक स्कीम का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर बिहार को बाढ़ नियंत्रण संबंधी पर्याप्त लाभ होंगे। विनिमय पत्र की प्रक्रिया, जो कि नेपाल में संयुक्त परियोजना कार्यालय और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की पूर्व शर्त थी, उसे भी जून, 2004 में पूरा कर लिया गया है जिससे उपरोक्त कार्य शुरू करने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

इसके अतिरिक्त कमला नदी पर कमला बहुउद्देश्यीय परियोजना पर भी नेपाल के साथ विचार विमर्श चल रहा है, हालांकि नेपाली पक्ष यह महसूस करता है कि यह परियोजना सामाजिक और पर्यावरणीय कठिनाइयों के कारण व्यवहार्य नहीं होगी। विशेषज्ञों के संयुक्त दल की जून, 2003 की पांचवी बैठक के दौरान इस मामले पर विचार विमर्श किया गया था और आगे इस पर अमल किया जा रहा है। जहां तक गंडक नदी का संबंध है, अक्तूबर, 2003 में भारत और नेपाल के बीच विचार-विमर्श के दौरान भारतीय अधिकरण द्वारा बूढ़ी गंडक नदी, जो कि गंडक नदी की एक

वितरिका है, पर 600 मेगावाट वाली बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना का क्षेत्र अन्वेषण शुरू करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समझौता किया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के बीच नेपाली भूभाग में नान स्पिलिंग जोन तक लालबकिया, बागमती, कमला एवं खांडो नदियों पर मौजूदा तटबंधों का विस्तार करने तथा भारत की ओर तटबंधों को तद्नुरूपी सुदृढ़ करने के साथ ऊंची भूमि से जोड़ने के लिए समझौता भी किया गया है। नेपाल की ओर किए जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है जबकि भारत की ओर के कार्य बिहार सरकार द्वारा किये जाते हैं और उनकी पूरी लागत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय है, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का अन्वेषण, उनकी आयोजना एवं क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्र तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता मुहैया कराती है। केन्द्र सरकार ने बाढ़ के प्रबंधन में राज्यों की सहायता करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने सभी गंगा बेसिन राज्यों के लिए बाढ़ प्रबंधन के वास्ते विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं, जिसकी सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए बिहार सहित राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से गंभीर बाढ़ प्रबंधन जल निकास और कटावरोध ी कार्य प्रारंभ करने के लिए बिहार सहित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

बाढ़ प्रबंधन के लिए गैर संरचनात्मक उपाय के एक भाग के रूप में पूरे देश में केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) द्वारा देशव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई है जिनमें से 32 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र बिहार में नदियों पर स्थित है। बाढ़ मौसम के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पूर्वानुमान जारी किए जाते है और बाढ़ में कमी लाने के लिए अग्रिम चेतावनी देने के लिए इसकी सूचना स्थानीय प्राधिकारियों को दी जाती है। बाढ़ पूर्वानुमान की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए भारत और नेपाल के बीच परस्पर सहयोग किया जाता है जिसके तहत हम नेपाल से जल वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त कर रहे है।

Floods in Bihar

†*28. PROF. RAM DEO BHANDARY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that rivers such as Kosi, Kamla, Gandak which are flowing from Nepal into Bihar cause heavy floods in the

†Original notice of the question was received in Hindi

State and the State has to suffer severe loss of life and property and has to bear additional burden of crores of rupees;

(b) the latest position of the talks with Nepal to set up dams on those rivers and other measures;

(c) the measures being taken by Government to save the State from severe floods by controlling the said rivers; and

(d) what measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Government of India is aware that rivers such as Kosi, Kamla, Gandak which are flowing from Nepal into Bihar cause heavy floods in Bihar resulting into loss of life and property.

(b) Government of India is having regular discussions with Nepal. In this regard agreement has been reached with Nepal and a scheme at the cost of Rs. 29.34 crore has been approved to take up field investigations and preparation of Detailed Project Report on Sapta Kosi High Dam Multipurpose Project and Sun Kosi Storage Cum Diversion Scheme which *inter alia* will have substantial flood control benefits for North Bihar. The process of Letter of Exchange which was pre requisite for opening of Joint Project Office and other field offices in Nepal has also been completed in June, 2004 paving the way for taking up the above work.

Further Kamla Multipurpose Project on river Kamla is also under discussion with Nepal, though the Nepalese side feels that this project may not be feasible because of social and environmental implications. This matter was discussed during 5th meeting of Joint Team of Experts in June, 2003 and is being followed up further.

As regards Gandak river, during discussions between India and Nepal in October 2003, agreement has been reached to take up field investigations and preparation of Detailed Project Report of 600 MW Burhi Gandaki Hydroelectric Project by an Indian agency on river Burhi Gandak which is a tributary of river Gandak.

Further an understanding has also been reached between India and Nepal to extend the existing embankments on Laibakeya, Bagmati, Kamla & Khando rivers into Nepalese territory upto the non-spilling zone and tie them up with high ground with corresponding strengthening of embankments on the Indian side. The works on Nepalese side are funded by Ministry of External Affairs whereas the full cost of the works on the Indian side being executed by Government of Bihar is met by the Ministry of Water Resources.

(c) and (d) Flood Management is a State subject, investigations, planning and implementation of flood management schemes are within the purview of the respective State Governments. The Centre renders assistance that are technical, catalytical and promotional in nature.

The Central Government has been initiating various measures for assisting States in the management of flood. The Ganga Flood Control Commission constituted by the Government of India in 1972 has prepared comprehensive plans for flood management for all the Ganga basin States, the recommendations of which have been sent to the State Government including Bihar for their implementation.

The Government of India is also providing financial assistance to the State Governments including Bihar to take up critical flood management, drainage and anti erosion works through centrally sponsored schemes.

As a part of Non-structural measures for flood management, a nation wide flood forecasting and warning system has been established by Central Water Commission (CWC) all over India out of which 32 flood forecasting stations are located on rivers in Bihar. During Flood season, the forecasts are issued by CWC and given to the local authorities for advance warning for flood mitigation. In order to have the quality flood forecast, cooperation also exists between India and Nepal under which we are receiving the hydrological data from Nepal.

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय सभापति महोदय, मैंने इस सवाल को अनेकों बार किसी-न-किसी रूप में सदन में उठाया है। यह सवाल इसलिए उठाया है कि इस सवाल का संबंध बिहार की प्रगति और विकास से है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेपाल से जो नदियां आती हैं, वे बिहार के लगभग 22 जिलों को प्रभावित करती हैं। यहां हर साल बाढ़ आती है और जान-माल का भारी नुकसान होता है।

महोदय, मैं जब भी इस सवाल को सदन में उठाता हूं तो यही जवाब आता है कि भारत सरकार की नेपाल सरकार के साथ नियमित बातचीत हो रही है, लेकिन इस बार थोड़ा-सा पोजिटिव जवाब आया है। कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए 29.34 करोड़ रुपए की लागत से

एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है। महोदय, मैंने कमला नदी के बारे में जिक्र किया है जो कि बिल्कुल मेरे गांव से होकर बहती है। इस बारे में सरकार का जवाब है कि नेपाल के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। यह भी कहा गया है कि सामाजिक और पर्यावरणीय कठिनाइयों के कारण यह व्यवहार्य नहीं होगा, ऐसा नेपाल सरकार का कहना है। यह भी बताया गया है कि जून, 2003 की पांचवी बैठक के दौरान इस मामले पर नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया था। महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि राज्य मंत्री महोदय श्री जयप्रकाश नारायण यादव उत्तरी बिहार से आते हैं और उन्होंने आते ही इस विषय पर पूरा ध्यान दिया है। मैंने भी एक-दो बार उनसे चर्चा की है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए उन्होंने 29.34 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है, उसी तरह कमला और गंडक नदी पर जो नेपाल में हाई-डैम बनाया जाना है, उस के लिए भी त्वरित गति से कार्य करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य की चिंता से मैं सहमत हूं। महोदय, मैं बिहार से तो नहीं हूं, लेकिन यह बात सही है कि जब बिहार में पानी ज्यादा आता है तो उसका असर बंगाल पर पड़ता है। अगर शनिवार को बिहार में बाढ़ आएगी तो निश्चित रूप से मंगलवार को बंगाल में पानी घुसेगा। इसलिए इस विषय में मैं उनकी चिंता के साथ सहमत हूं, लेकिन मैं आप के माध्यम से एक बात माननीय सदस्य के सामने रखना चाहता हूं कि जब नदियों के मसले पर दो देशों के साथ बातचीत चलती है तो हमें तीन चीजों को नज़र में रखना पड़ता है – एक, उनके साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते रहें और वे बिगड़ न जाएं। दो, पर्यावरण के मसले पर हमारी और उनकी सहमति हो जाए। और तीसरा खर्चे के बारे में। जब हम दोनों एकमत न हों तो कैसे हम खर्चे को, लागत को लगाएं, इसके बारे में निश्चित रूप से चिंता करने के बाद ही काम होता है।

सर, एक बात मैं यह कह रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने तुरन्त इस पर काम शुरू किया है, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने भी किया है। जून, 2004 में, जो बीस साल से बात हो रही थी कोसी के ऊपर काम करने के लिए, उसकी डीपीआर के सिलसिले में, उसमें हमारा पक्का समझौता हो गया है, साधन भी लग गया है और डीपीआर के आधार पर निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि कितनी लागत की जरूरत है। आपको सुनकर शायद यह लगेगा कि कैसे पैसा आएगा? हम लोगों का अनुमान है कि करीब करीब इस योजना को लागू करने के लिए आज के हिसाब से तीस हजार करोड़ से ज्यादा की जरूरत होगी। तीस हजार करोड़।

श्री सभापति: इसमें आप जितनी ज्यादा देरी करेंगे उतनी ही लागत बढ़ जाएगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी देरी करेंगे उतनी ही लागत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने इस पर निगरानी रखना शुरू कर दिया है और जरूरत पड़ी तो मैं इसमें मंथली बेसिस पर मोनेटरिंग करुंगा कि डीपीआर जल्दी बने। जहां तक कमला और बागमती का सवाल है, अब एक प्रांत अगर उसमें डैम बनाना चाहता है तो उसमें दो समस्याएं हैं। सर, कोसी के ऊपर अगर हम बांध बनाएं तो हम फ्लड से बचेंगे और अगर नेपाल सरकार बागमती और कमला के

ऊपर कुछ अपना बनाए तो हम सूखे से मरेंगे, बिहार सूखे से मरेगा। इसलिए उनकी जो आपत्ति हैं, उन आपत्तियों को सुलझाने के लिए हमारी सरकार का प्रयास जारी है। हो सकता है कि हम इस साल इस मामले को हल करने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचें।

प्रो॰ राम देव भंडारी: मान्यवर, न तो मुझे बाढ़ चाहिए और न ही सूखा चाहिए। मैं समझता हूं कि दोनों से, बाढ़ से भी मुक्ति मिल जाए औ सूखा भी वहां न होने पाए, इसके लिए मंत्री जी जरूर व्यवस्था करेंगे। मेरा दूसरा सवाल यह है कि हर साल बिहार सरकार को बाढ़ की वजह से लगभग दो हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है।

श्री सभापति: वह तो सबको मालूम है।

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय है। मैं मानता हूँ कि यह राज्य का विषय है, मगर हर वर्ष जो बाढ़ आती है और जो दो हजार करोड़ रूपए का नुकसान होता है, मैं समझता हूँ कि किसी भी राज्य के लिए इतना बड़ा घाटा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो हर वर्ष बाढ़ आती है या प्राकृतिक विपदा आती है, उसके लिए विशेष प्रबंध सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार को इस बाढ़ के लिए हर वर्ष क्या किसी प्रकार की विशेष सहायता देना पसंद करेंगे? मेरा निवेदन है कि आप जरूर दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, जहां तक बाढ़ की वजह से किसी प्रांत को नुकसान होता है तो उसका डैमेज असेसमेंट करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की होती है और उसके आधार पर सरकार सहायता करती है। जहां तक बिहार का मसला है या किसी अन्य प्रांत का मसला है, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी यह जो सरकार बनी है इस सरकार ने इस बारे में सोच विचार शुरू कर दिया है। जब किसी प्रांत के ऊपर इस प्रकार का बोझ पड़ता है ऐसे नुकसान के समय और वह प्रांत अपनी राशि लगाकर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए क्या संविधान के पूरे प्रावधान को देखते हुए, देश की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, बाढ़ की समस्या, नदी के किनारे जो टूट जाते हैं उनकी समस्या, इन पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा या नहीं, इस पर चिंतन-विमर्श चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करनी पड़ेगी। इस पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकलेगा तो शायद हम लोग इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कुछ कर पाएंगे। फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट से हर स्कीम के उपर हम लोन देते हैं और ये तीन किस्म के लोन हैं-फुल, सेंट-परसेंट लोन देते हैं, कभी-कभी हिस्सा जैसे स्टेट का होता है 10 परसेंट और हमारा 90 परसेंट, इस प्रकार से करके हम लोग लोन देते हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि भयंकर बाढ़ के समय जो स्टेट का नुकसान होता है उसका बोझ उठाना स्टेट के लिए संभव नहीं है और इसलिए हमने इस पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना शुरू कर दिया है।

डा॰ कुमकुम राय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह

जानना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि इन नदियों पर नेपाल सरकार से मिलकर के बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा क्या आपने इन नदियों का, जिनकी गाद भर जाने के कारण इनकी मूल धारा भटक करके आगे नई-नई धाराएं हर साल अख्तियार करती हैं और उन नई धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण हर साल कुछ नये-नये गांव उसकी चपेट में चले आते हैं तो क्या उन नदियों की गाद निकालने की किसी परियोजना पर भी आप विचार कर रहे हैं और अगर ऐसी परियोजना पर विचार कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कब से शुरू होगी?

श्री सभापति: ठीक है, माननीय मंत्री जी इसका ध्यान रखेंगे। नैक्स्ट क्वैश्चन।

*29. [*The questioner (Shri Ramarjun Reddy) was absent. For answer vide Pages 31-32.*]

*30. [*The questioner (Shri Ravi Shankar Prasad) was absent. For answer vide Pages 32-33.*]

*31. [*The questioners (Shrimati Vanga Geetha and Shri Ravula Chandra Sekarreddy) were absent. For answer vide Pages 34—38.*]

*32. [*The questioner (Shri Raj Kumar Dhoot) was absent. For answer vide Pages 39.*]

Debt relief package

*33. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the recent announcement by Government of debt relief package to the farmers will help the distressed farming community;

(b) whether Government are strengthening rural credit banks to implement the debt relief package to the farmers; and

(c) if so, how will it be implemented?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The announcement on agricultural credit made by the Government on 18th June, 2004 envisages the following relief measures:

(i) Debt restructuring/reschedulement and fresh loans for distressed farmers.

(ii) One Time Settlement (OTS) for small and marginal farmers.

(iii) Fresh credit to farmers whose earlier debts have been settled through compromise or write off.